

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ म0प्र0

क्रमांक:- ९

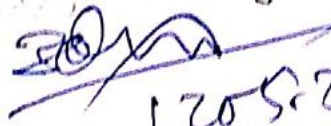
झाबुआ, दिनांक:- 12.05.2020

:: विविध कार्यालयीन आदेश ::

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के परिपत्र क्रमांक ए/९३०, जबलपुर दिनांक 11.05.2020 के द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक ए/९११ दिनांक 05/05/2020 में वर्णित कण्डिका-1 में संशोधन करते हुए "जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों हेतु कार्य का समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के न्यायालय हेतु कार्य का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

अतः माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के उपरोक्त परिपत्र के परिपालन में निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं।

1. मुख्यालय झाबुआ में स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में तथा बाह्य स्थान पेटलावद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में न्यायिक कार्य का समय प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक रहेगा।
2. जिला मुख्यालय झाबुआ एवं बाह्य स्थान थानदला/पेटलावद के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का न्यायिक कार्य का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा।
3. उपरोक्त समय के अनुसार सभी पीठारीन अधिकारीगण अपने-अपने न्यायालय के सीमित स्टाफ को स्वयं निर्देशित कर बुलाकर न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्र. क्यू-5 दिनांक 25.03.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा परिपत्र क्र. क्यू-12


12.05.2020

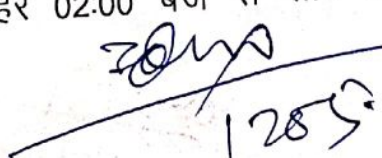
जबलपुर, दिनांक 04.05.2020 में वर्णित निर्देशों का परिपालन करते हुए अत्यावश्यक प्रकृति के रिमाण्ड आवेदन पत्र, जमानत आवेदन पत्र तथा उनके न्यायालय के ऐसे मामलों में जो अंतिम अवस्था में हों और जिनमें मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किये वगैर अंतिम तर्क सुनकर अथवा अधिवक्तागण से लिखित बहस प्राप्त की जाकर मामले का निराकरण किया जाना संभव हो, ऐसे मामलों में सुनवाई कर उनका निराकरण कर सकेंगे

4. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की स्थापना शाखा एवं सांख्यिकी अनुभाग में कर्मचारीगण प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक कार्य करेंगे तथा नजारत अनुभाग मुख्यालय झाबुआ में प्रातः 10:30 बजे से शाम 05:00 बजे तक तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारीगण प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग झाबुआ के निर्देशन में दो शिफ्टों में आधे-आधे कर्मचारी जितनी आवश्यकता हो, उसके अनुसार कार्य संपन्न करेंगे।

5. बाह्य स्थान थांदला एवं पेटलावद में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नजारत अनुभाग के कर्मचारीगण उनके प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग के निर्देशों के पालन में जितने कर्मचारी आवश्यक होंगे उतने कार्य करेंगे।

6. प्रतिलिपि अनुभाग मुख्यालय झाबुआ में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक आवश्यकता अनुसार कर्मचारीगण कार्य करेंगे। आवश्यकता होने पर प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि शाखा अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा दूरभाष पर उक्त अनुभाग के कर्मचारियों को सूचित किये जाने पर ऐसे कर्मचारी सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्य के लिये उपलब्ध रहेंगे। बाह्य स्थान थांदला एवं पेटलावद में प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि अनुभाग एवं नजारत अनुभाग के अनुसार प्रतिलिपि शाखा में कर्मचारीगण कार्य करेंगे।

7. मालखाना/अभिलेखागार एवं ग्रंथालय अनुभाग में जिला मुख्यालय पर कर्मचारीगण प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक तथा बाह्य स्थानों थांदला एवं पेटलावद में दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक कार्य करेंगे।


1285 2020

कर्मचारीगण की आवश्यकता होने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा दूरभाष पर सूचित किये जाने पर संबंधित कर्मचारी उक्त वर्णित समय के अतिरिक्त भी कार्य करेंगे।

8. सभी न्यायिक अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे और अपने मोबाइल फोन एक्टिव मोड पर रखेंगे तथा उन्हें दूरभाष पर सूचित किये जाने पर आवश्यक कार्य के लिये कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।

संलग्न:- परिपत्र क्र. ए-930 दिनांक 11.05.2020


(एम.के.शर्मा) 12.05.2020

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला झाबुआ (म.प्र.)

झाबुआ, दिनांक:- 12.05.2020

पृष्ठांकन क्रमांक:- ८९।

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय झाबुआ,
3. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर उक्त सूचना पालनार्थ नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग/सिस्टम ऑफिसर की ओर संबंधित ई-मेल किये जाने हेतु प्रेषित तथा नियत समय पर न्यायालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा सुचारु रूप से जारी रखे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का कष्ट करें।
6. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ झाबुआ/थांदला/पेटलावद की ओर सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सभी अधिवक्तागण को तदनुसार सूचित करें।
7. प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय झाबुआ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
8. अध्यक्ष, तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ झाबुआ एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण झाबुआ की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त निर्देशों की जानकारी समस्त कर्मचारीगण को सूचित करने का कष्ट करें।
9. जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ म.प्र.,


12.05.2020

10. पुलिस अधीक्षक, जिला झाबुआ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. जेल अधीक्षक, जिला झाबुआ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. शासकीय अभिभाषक/जिला अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल म.प्र. की ओर समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।


12.05.2020
(एम.के.शर्मा)

प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला झाबुआ (म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

// CIRCULAR //

No. A/930 /

Jabalpur dated 11/05/2020

In continuation to the earlier Circular No. A/911 dated 05.05.2020 issued by this High Court, Clause No.1 has been modified as below:

"The working hours of the courts of the District and Session Judges/Addl. District and Sessions Judges shall be from 11:00 am to 02:00 pm while the working hours of Civil Judge Class-I & II shall be from 02:00 pm to 05:00 pm"

By order of Hon'ble the Chief Justice


(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL